न्यायालय संभागीय आयुक्त कोटा संभाग, कोटा

(निर्णय बईजलास राजेन्द्र सिंह शेखावत आई0ए0एस0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्या : 44/2024/अपील/एलआरएक्ट/कोर्ट कैंप बारां
दायरा दिनांक : 17.05.2024
अन्तर्गत धारा : 76 राज0भू राजस्व अधि0, 1956

उनवान

जोधराज पुत्र भंवरलाल जाति गुर्जर निवासी बांसखेड़ा, तहसील छीपाबड़ौद, जिला बारां

....अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य द्वारा तहसीलदार छीपाबड़ौद, जिला बारां

.....रस्पोडेन्ट

उपस्थित : श्री आलोक गोयल अभिभाषक –अपीलार्थी
पेरोकार सरकार – रेस्पो0

::निर्णय::

दिनांक 02.06.2025

अपीलार्थी ने न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बारां (संक्षेप में प्रथम अपीलीय न्यायालय) द्वारा प्रकरण सं0 05/अपील/2024 बउनवान जोधराज बनाम राज0 सरकार में पारित निर्णय दिनांक 20.02.2024 (संक्षेप मे अपीलाधीन निर्णय) के विरूद्ध यह द्वितीय अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 अन्तर्गत इस न्यायालय मे पेश की गई।

1. प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि न्यायालय तहसीलदार छीपाबड़ौद द्वारा प्रकरण संख्या 235/2023 धारा 91 एलआरएक्ट अन्तर्गत अपीलार्थी को ग्राम बांसखेड़ा के आराजी खसरा संख्या 32 रकबा 3 बीघा भूमि किस्म चारागाह पर अनाधिकृत रूप से कब्जा कर संवत 2080 में फसल मक्का की काश्त करने पर पर अपीलार्थी को पश्चात्वर्ती अतिक्रमी मानते हुए निर्णय दिनांक 13.10.2023 से 150/– रूपये शास्ति राशि से दण्डित कर अतिक्रमित भूमि से बेदखल कर 01 माह के सिविल कारावास की सजा से दण्डित किये जाने का निर्णय पारित किया गया। जिसके विरूद्ध प्रथम अपील धारा 75 एलआरएक्ट में न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बारां के यहां अपीलार्थी द्वारा अपील पेश करने पर निर्णय दिनांक 20.02.2024 से अपील खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, छीपाबड़ौद का निर्णय दिनांक 13.10.2023 को यथावत रखा गया।

2. उक्त दोनों निर्णय अधीनस्थ न्यायालय से व्यथित होकर अपीलार्थी ने द्वितीय अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 76 अन्तर्गत न्यायालय हाजा में अपील पेश कर कथन किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का सही अवलोकन

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा

नहीं कर निर्णय पारित किया गया है, जो निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा द्वितीय अतिचारी होने बाबत् कोई रिकॉर्ड प्रस्तुत नहीं किया गया तथा निर्णय अपीलार्थी की अनुपस्थिति में पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर नही किया कि अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर दिये बिना एक तरफा निर्णय तहसीलदार छीपाबड़ौद के द्वारा पारित कर दिया गया, जो निरस्तनीय है। अपीलार्थी का किसी भी सरकारी जमीन पर कब्जा नहीं है और न हीं उक्त प्रकरण में अपीलार्थी को अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा नोटिस की विधिवत तामील हुई। मात्र पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर सजायाब फरमाया गया है, जो निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त फरमाया जावे।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये नोटिस/सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने उपरांत प्रकरण मे बहस विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी एवं रेस्पो0 पैरोकार सरकार सुनी गई।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील मे उल्लेखित तथ्यों को ही दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा द्वितीय अतिचारी होने बाबत् कोई रिकॉर्ड प्रस्तुत नहीं किया गया तथा निर्णय बिना अपीलार्थी की सुनवाई के तथा उसकी अनुपस्थिति में एकपक्षीय पारित किया गया है। अपीलार्थी का किसी भी सरकारी जमीन पर कब्जा नहीं है और न हीं उक्त प्रकरण में अपीलार्थी को अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा नोटिस की विधिवत तामील हुई। मात्र पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर सजायाब फरमाया गया है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त फरमाया जावे।

5. रेस्पो0 पेरोकार सरकार ने दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय उचित होना प्रकट करते हुए अपील खारिज किये जाने का अनुरोध किया गया।

6. हमने अपील एव अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का आध्योपांत अवलोकन कर बहस विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी एंव रेस्पो0 पेरोकार सरकार पर मनन किया। पत्रावली मे उपलब्ध आधार अभिलेख एंव आलौच्य जेरअपील निर्णय के अवलोकन से प्रकट होता है कि तहसीलदार, छीपाबड़ौद के समक्ष पटवारी हल्का द्वारा अपीलार्थी के संवत 2080 में खसरा सं 32 रकबा 3 बीघा किस्म चारागाह पर अतिक्रमण किये जाने की रिपोर्ट पेश की गई तथा प्रस्तुत रिपोर्ट में अपीलार्थी को पश्चातवर्ती होने का अंकन किया गया। न्यायालय तहसीलदार छीपाबड़ौद के द्वारा उक्त रिपोर्ट के संदर्भ में प्रकरण संख्या 235/2023 दिनांक 05.10.2023 को दर्ज किया जाकर अपीलार्थी को धारा 91(3) एलआरएक्ट के तहत वर्ष 2022 में भी अतिक्रमण करने तथा पुनः अतिक्रमण करने से पश्चातवर्ती अतिचार करने बाबत् नोटिस जारी किया गया। उक्त जारी नोटिस स्वयं अपीलार्थी

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा

जोधराज को तामील होना प्रकट होता है। उक्त नोटिस स्वयं अपीलार्थी को तामील होने के उपरांत भी अपीलार्थी द्वारा उक्त जारी नोटिस के संबंध में कोई जवाब/प्रत्युत्तर पेश नहीं किया जाना प्रकट होता है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी के इस कथन की पुष्टि नहीं होती है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, छीपाबड़ोद के द्वारा अपीलार्थी को सुनवाई हेतु विधिवत सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है। साथ ही अधीनस्थ न्यायालय जिला अतिरिक्त जिला कलक्टर, बारां के द्वारा प्रकरण में तहसीलदार, छीपाबड़ौद के द्वारा पारित आदेश को विधिसंगत होना प्रकट किया गया है। इस प्रकार प्रथम अपीलीय न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बारां द्वारा निर्णय दिनांक 20.02.2024 से अपीलार्थी के पश्चातवर्ती अतिक्रमी की पुष्टि होने के उपरांत अपील खारिज की गई है, जो प्रकरण में तथ्यों का समुचित परीक्षण कर एवं अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर प्रदान कर, उपलब्ध रिकोर्ड, दस्तावेजों के आधार पर जेरअपील निर्णय दिनांक 20.02.2024 पारित किया है, जिसमें हम किसी प्रकार का विधिक एवं तथ्यात्मक दोष नहीं पाते है। परिणाम स्वरूप अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन/बलहीन होने से खारिज की जाती हैं।

7. निर्णय आज दिनांक 02.06.2025 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर जारी किया गया।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
संभागीय आयुक्त
कोटा

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा